न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित–मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010004022026

Bail Application/208/2026

मो० साबान अख्तर पुत्र अब्दुल हफीज उम्र लगभग 32 वर्ष साकिन–पेण्डरिया थाना–पैकोलिया, जनपद–बस्ती, उत्तरप्रदेश।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०–––07/2024

अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० व 66 सी आईटी एक्ट

थाना–साइबर क्राइम

जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–30.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मो० साबान अख्तर की ओर से मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष एवं बेगुनाह है कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त में महज हैरान व परेशान करने की नियत से गलत तरीके से फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रथम ए.टी.एम. बंद करा दिया गया था। पुनः दूसरा ए.टी.एम. जारी करने जैसा तथ्य उल्लिखित है यदि दूसरा ए.टी.एम. जारी किया गया तो किसने आवेदन किया और यू.पी.आई. बनाते समय खाता धारक के मोबाइल पर गया ओटीपी किसके द्वारा प्राप्त हुआ और कैसे इस बात का कोई उल्लेख नहीं है और उक्त ओटीपी कर्मचारी शबाना को प्राप्त हो पाना असंभव है। इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसके पीछे खाता धारक का कोई नजदीकी व्यक्ति है जो फर्जी हस्ताक्षर लेकर व खाता धारक को गुमराह कर उक्त अपराध कारित किया है। इसके कर्मचारी साबान का कोई भूमिका नहीं है। नया ए.टी.एम. जारी होने का कार्य हेड ऑफिस से होता है और वह सीधे खाताधारक के पते पर डाक के माध्यम से डिलीवर्ड होता है ऐसी सूरत में ए.टी.एम. को साबान कर्मचारी को प्राप्त होता जैसा लागाया गया आरोप झूठा व असत्य प्रतीत होता है। प्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है। तथा कथित घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह घर का जिम्मेदार व्यक्ति है तथा मफरूरी की कोई आशंका नहीं है। उक्त मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे मामले में कथित आरोपित अपराध बनता। वह अपना जमानत मुचलका देने को तैयार है तथा जमानत के शर्तों का पालन करे। उसके द्वारा धारा–482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष निवेदित है। इस जमानत के अलावा किसी अन्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मोहम्मद हाशिम अनवर द्वारा थाना–साइबर क्राइम सिद्धार्थनगर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के ससुर अब्दुल बारी फथुल्लाह अलमदनी पुत्र फतहुल्लाह निवासी ग्राम–दरियाबाद, पोस्ट–दुधारा, जनपद–सन्तकबीरनगर

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.30 16:42:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का एक खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक साड़ी तिराहा, नौगढ़, सिद्धार्थनगर में दिनांक 17.03.2021 को खुला था जिसका खाता संख्या 7594010XXXXX है । प्रार्थी के ससुर गल्फ कन्ट्री में रहते हैं और अपने खाते का संचालन करते थे । प्रार्थी के ससुर से वहां के कर्मचारी साबान जिसका मोबाइल नंबर 63944XXXXX है से बात रुपये के ट्रांजेक्शन के सम्बन्ध में जानकारी ली जाती रही। प्रार्थी के ससुर दिनांक 06.09.2024 को रुपये की आवश्यकता पड़ने पर आई.सी.आई.सी. शाखा साडी, नौगढ़ गये और अपने रुपये निकालने के लिए शाखा प्रबन्धक से 25,00,00000 निकालने के लिए कहे तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके खाते में उतनी धनराशि ही नहीं है, यह सुनकर मेरे ससुर परेशान हो गये उन्होने कहा ऐसा कैसे हो सकता है तब शाखा प्रबन्धक द्वारा उनके खाते की जांच की गयी तब पता चला कि उनके खाते से गलत तरीके से किसी के द्वारा फ्राड कर यू.पी.आई. आई.डी. बनाकर उनके पैसों का गबन किया गया है। बैंक के द्वारा प्राप्त किया गया प्रथम ए.टी.एम. प्रार्थी के ससुर द्वारा स्वयं ब्लाक करा दिया गया था और उसके उपरान्त हम प्रार्थी के ससुर ने कोई भी ए.टी.एम. जारी करने का आवेदन नहीं किया था और न ही किसी ए.टी.एम. को रिसीव किया। हम प्रार्थी के ससुर को यह जानते हुए कि वह गल्फ कन्ट्री में रहते हैं, गलत तरीके से एक षडयन्त्र कर उनके खाते का ए.टी.एम. जारी कराकर फर्जी यू पी.आई. आई.डी. बनाकर लगभग 34,50,00000 का गबन किया गया है। प्रार्थी को शक है कि उक्त गबन में कस्टमर सर्विस अफसर साबान की संलिप्तता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उनसे गबन किया हुआ रुपया वापस दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ।

4. सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिस कारण उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा उपरोक्त कथित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः जमानत प्रदत्त की जाये।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा कूटरचना करके फर्जी यू.पी.आई. आई.डी. बनाकर वादी मुकदमा के ससुर के खाते से लगभग 34,50,00000/– रू० का गबन करने का आरोप है। थाने की रिपोर्ट के अनुसार जिस लेन देन की शिकायत है वह दूसरे डेबिट कार्ड से किया गया उक्त डेबिट कार्ड का आवेदन साबान ने लिया था तथा उसी ने बैंक सिस्टम में डेबिट कार्ड लेने की रिक्वेस्ट डाली थी। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बड़ी धनराशि का गबन किया जाना दर्शित है। जो अत्यंत गम्भीर प्रकृति का अपराध है तथा आजीवन कारावास के दंड से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त मो० साबान अख्तर का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–30.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336